UPKU100071272019

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर

उपस्थितः– प्रतिभा भाग्यश्री (उ०प्र०न्यायिक सेवा)(UP3293)

उ०प्रदेश राज्य

बनाम

1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता बउम्र 65 वर्ष,
2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता बउम्र 52 वर्ष,
3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता बउम्र 26 वर्ष,
4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता बउम्र 47 वर्ष
साकिनान–कोरया भेलही, थाना तुर्कपट्टी, जनपद–कुशीनगर।

.....विपक्षीगण/अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–157/2019
मुकदमा संख्या–756/2020
अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 आई.पी.सी.
थाना–तुर्कपट्टी, जिला–कुशीनगर।

निर्णय

1– पुलिस थाना को०हाटा द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर **अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता** का विचारण **मुकदमा अपराध संख्या–157/2019,** अंतर्गत धारा **323, 504, 506 आई.पी.सी.** में किया गया।

2– उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मेरे छोटे भाई मुन्दिका गुप्ता की शादी विगत वर्ष 2017 माह 10 जून मे हुआ था। मेरा भाई 3 जुलाई 2017 को दुबई चला गया उसकी पत्नी नीलम गुप्ता पुत्री श्री राजकिशोर गुप्ता ग्राम पोस्ट बेलवा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर आये दिन मेरी माँ से बिबाद व झगड़ा व मारपीट करती थी। अपनी इच्छा से अपनी माइके जाती थी और अपने ही इच्छा से घर चली आती थी। जिससे हम लोगो के परिवार से तथा नीलम गुप्ता के माईक के घरवालो से सम्बन्ध कटू हो गया था। जिस बात को लेकर दिनाक 20.05.2019 को पंचायत की तिथी तय हुई। पंचायत मे लड़की की तरफ से लड़की के पिता राजकिशोर गुप्ता पुत्र अज्ञात व हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता जवाहीर गुप्ता पुत्र महेश गुमा ललन चौधरी पुत्र वशी, दीनानाथ पाण्डेय पुत्र राधा कृष्ण असर्फी गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता बिरजू गुप्ता पुत्र मोतीचन्द, अशोक गुप्ता पुत्र अज्ञात तथा मेरे तरफ से गृस पाण्डेय पुत्र अज्ञात, फेकू पाण्डेय पुत्र अज्ञात, विरेन्द्र गुप्ता पुत्र महाबीर गुप्ता, मै तथा मेरी माँ श्रीमती लालमती देवी तथा मेरी पत्नी माधुरी देवी बैठी थी। उस समय करीब 10 बजे सुबह लड़की पक्ष के लोग हम लोगो को भददी भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए लाठी डण्डा से मारने लगे जिससे की मेरी माँ को गम्भीर चोट आ गयी तथा हम लोगो को हल्की फुलकी चोटे आई। हम लोग अपनी माँ को लेकर कुबेरस्थान सरकारी अस्पताल आये तथा मेरी पत्नी और मेरी माँ के चोटो का डाक्टरी मोआईना कराये। डाक्टर साहब की राय के मुताबिक हम लोग जिला अस्पताल आये तथा उनके चोटो का एक्सरे और अल्ट्रासाउण्ड हुआ। उसके बाद अपने माँ को अपने मामा के घर लेकर पहुंचे। इसी दौरान मेरी मां की तबियत लगी हुई चोटों के वजह से खराब रहने लगी। तब हम लोग मजबूर होकर गोरखपुर मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, मेडिकल कालेज से 13.6.2019 को लेकर अपने ससुराल ले गये जहां पर उनकी मृत्यु हो गयी। जिनका शव ले कर आये है। अत श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। इस घटना में गुड्डू पाण्डेय व प्रदीप पाण्डेय साकिन कोरया भेलही विरती टोला थाना तुर्कपट्टी, कुशीनगर भी मुझे मारने मे शामिल थे।

3– केस दिनांक 14.06.2019 समय करीब 22:05 बजे को थाने पर पंजीकृत किया गया। मामले की

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.07.15 17:07:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विवेचना करायी गयी। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा अभियुक्तगण ने अपनी–अपनी जमानतें करायी।

4– अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी तथा अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता के विरूद्ध आरोप **दिनांक 15.10.2024** को अंतर्गत धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. अंकित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर वादिनी, आरोप पत्र, नक्शा नजरी आदि दाखिल किया गया तथा मौखिक साक्ष्य में **पी०डब्लू०–1 अमेरिका पुत्र इन्द्रासना, पी०डब्लू० 2 माधुरी देवी पत्नी अमेरिका, पी०डब्लू०–3 मुद्रिका गुप्ता पुत्र इन्द्रासन** को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, तहरीर वादी, आरोप पत्र दाखिल किए गए तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 अमेरिका पुत्र इन्द्रासना, पी०डब्लू० 2 माधुरी देवी पत्नी अमेरिका, पी०डब्लू०–3 मुद्रिका गुप्ता पुत्र इन्द्रासनी को परीक्षित कराया गया है व अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 13.05.2026 को शेष गवाहों को उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 21.05.2026 का स्वीकार किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रो की सत्यता स्वीकार की गई।

6– अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० **दिनांक 21.05.2026** को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने उपरोक्त मामले के संबंध में कहा कि उपरोक्त अपराध झूठा है, साक्षियों के बयानों के बारे में कुछ नहीं कहा और सफाई साक्ष्य देने व और कुछ कहने से इंकार किया है।

7– अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर तहरीर वादीपर प्रदर्श क–1 डाला गया।

8– मैंने अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को भलीभांति सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

9– वर्तमान दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता ने मिलकर दिनांक 20.05.2019 को समय करीब 10 बजे सुबह को वादी मुकदमा इन्द्रासन गुप्ता व उसकी पत्नी माधुरी देवी व माँ लालमती देवी को लाठी डण्डा से मारा पीटा, भद्दी भद्दी गालियाँ दी व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। उक्त अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

10– अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी **पी०डब्लू०–1 अमेरिका पुत्र इन्द्रासन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे छोटे भाई की शादी नीलम गुप्ता पुत्री राजकिशोर गुप्ता के साथ 10 जून 2017 को हुयी थी। शादी के कुछ दिनों बाद 3 जुलाई 2017 को दुबई चला गया। मेरी मां व मेरे भाई की पत्नी नीलम घर पर रहती थी। आये दिन मेरे मम्मी के साथ मार पिटाई करती थी। अपने मर्जी से मयके जाती थी व अपनी मर्जी से आती थी तथा ओर रिश्तेदारी में जाती थी। उसके लड़ाई झगड़े को देखते हुए उसके मायके व हमारे घर के रिश्ते खराब होने लगे। उसी के संबंध में दिननांक 20.05.19 को मेरे दरवाजे पर एक पंचायत हुयी थी, जिसमें लड़की पक्ष के लड़की के पिता राजकिशोर गुप्ता व मामा का लड़का अशोक गुप्ता व उसका जीजा लालबहादुर गुप्ता मेरे गांव के ग्राम प्रधान दीनानाथ पाण्डेय, गुड्डू पाण्डेय, प्रदीप पाण्डेय और लल्लन चौधरी, अशर्फी गुप्ता, बिरजू गुप्ता पंचायत करने आये। मेंरे पक्ष से मेरी मां, मेरी पत्नी, ग्रीश पाण्डेय, फेकू पाण्डेय, विरेन्द्र गुप्ता थे। पंचायत के दौरान सभी मुल्जिमान अचानक मारने पीटने लगे। मुल्जिमान अपने साथ 11 हाकी लेकर आये थे। मुल्जिमान मेरी मां को मेरी पत्नी व मेरे लड़के तथा मुझे भी मारे थे। मुल्जिमान के मारने से मेरी मां को काफई चोटें आयी थी। उनके सीने में बहुत चोट थी. सिर में, पैर में व पेट में भी बहुत चोटें आयी थी। मेरी पत्नी की कमर में चोट आयी थी। हड्डी में क्रैक है उसकी दवाई आज भी चलती है। मारपीट के बात मैं मम्मी को लेकर कुबेरस्थान सरकारी अस्पताल ले गया। मुल्जिमान मार पीटकर

भाग गये। मेरी माँ और पत्नी को डाक्टर ने जिला अस्पताल पडरौना रेफर कर दिये थे। वहाँ से मैं अपनी मां को लेकर अपने मामा के घर लेकर गया। मार पीटाई के बीत मेरी मां की तबियत आये दिन बिगड़ती गयी। तब मैं मां को लेकर गोरखपुर मेडिकल कालेज गया। वहां पर मेरी 13 दिन ICU में रही। दिनांक 13.06.2019 को मैं अपनी मां को लेकर अपने ससुराल गया। वही पर उसी दिन मेरी मां की मृत्यु हो गयी। पहले भी हमने सूचना थाने पर दिया था लेकिन मैं मां की मृत्यु के बाद थाने पर जाकर एक लिखित प्रा०पत्र दिया था। प्रा०पत्र मैं बोलकर अपने भाई मुद्रिका से लिखवाया था। प्रा०पत्र पर मेरा हस्ताक्षर है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। दरोगा जी घटना के संबंध में पूछताछ किये थे। मेरा बयान किये थे। नक्सा नजरी बनाये थे।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष– मैं बीस साल से बाहर काम करता हूँ। दिनांक 20.05.2019 की घटना है। अभियुक्तगण राजकिशोर गुप्ता, हीरा गुप्ता, लाल बहादुर गुप्ता व जवाहिर गुप्ता से मेरे तथा मेरे परिवार वालों के साथ कुछ कहा सुनी हो रही थी, उस कहा सुनी के दौरान वहां पर काफी भीड़ हो गयी थी, उसी भीड़ में आपस में गाली गलौच होने लगी और भगदड़ सी मच गयी थी। उसी भगदड़ में मेरी मां लालमति देवी व मेरी पत्नी व अन्य लोगों का धक्का लगा। धक्का लग जाने के कारण गिरने से चोटें आ गयी थी। जिस कारण मेरी मां का ईलाज पहले रविन्द्रनगर हुआ, वहां से रेफर करने के बाद मेडिकल कालेज में हुआ। तथा ईलाज के बाद घर आने पर फेफड़े में संक्रमण हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी, किसने उनकों धक्का देकर गिराया था मुझे जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण उपरोक्त ने न तो हम लोगों को मारा पीटा था न गाली गुप्ता दिया था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने थाने पर जो भी तहरीर दी थी लोगों के बहकावे में आकर दिया था।

पुनः परीक्षा द्वारा अभियोजन–गवाह को 161 Crpc का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इन्कार किया। ये वो बयान नहीं है। जो मैंने दरोगा जी को दिया था। हम लोगों को चोटे भीड़ में धक्का लग जाने में गिरने से मेरी मां को काफी गम्भीर चोटे आयी थी। तथा उनकी मृत्यु फेफड़े में संक्रमण होने के कारण हुई थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने न तो हम लोगों को मारा पीटा था। न ही गाली गुप्ता दिया था और न ही जान से मारने की घुड़की धमकी दी थी। यह कहना सही है कि हम लोगों के बीच सुलह हो गयी है। और कोई विवाद अब शेष नहीं है। सुलहनामा पत्रावली में संलग्न है। यह कहना गलत है कि किसी दबाव या लालच में आकर आज न्यायालय में अभियुक्तगण को बचाने के लिये झूठी गवाही दे रहा हूँ।

11– अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी **पी०डब्लू० 2 माधुरी देवी पत्नी अमेरिका** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20 मई 2019 की घटना है मुझे भीड़ में धक्का लग जाने के कारण गिरने से चोटें आयी थी। मेरी चोटों का मेडिकल कुबेरस्थान में हुआ था। अभियुक्तगण राजकुमार गुप्ता, हीरा गुप्ता, लाल बहादुर गुप्ता, जवाहिर गुप्ता ने न तो मुझे मारा पीटा था और न ही गाली गुप्ता दिया था और न ही जान से मारने की घुड़की धमकी दिये थे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

जिरह द्वारा अभियोजन–गवाह को धारा 161 Crpc का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने ऐसा बयान देने से इन्कार किया और कहा कि दरोगा जी ने बयान कैसे लिख लिया है मैं नहीं बता सकती। मुझे चोटें भीड़ में धक्का लग जाने से गिरने से चोटे आयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने न तो मारा पीटा था और न ही गाली गुप्ता दिया था और न ही जान से मारने की घुड़की धमकी दी थी। मेरा सास लालमति देवी की मृत्यु फेफड़े में संक्रमण होने के कारण हुई थी। यह कहना सही है कि हम लोगों के बीच सुलह हो गयी है। सुलहनामा पत्रावली में संलग्न है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। यह कहना गलत है कि किसी लालच या दबाव में आकर आज न्यायालय में अभियुक्तगण के बचाने के लिये झूठी गवाही दे रही हूँ।

12– अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी **पी०डब्लू० 3 मुद्रिका गुप्ता पुत्र इन्द्रासन गुप्ता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.05.2019 को दुबई में था मुझे सूचना मिली की मेरी मां लालमति देवी को चोट लग गयी है। तो मैं लगभग 06 जून को दुबई से घर वापस आया तो पता चला कि मेरी मां को मैं घर वापस लाया तो रास्ते में ही मृत्यु हो गयी। मेरी मां को जो चेट लगी थी, उस समय मैं घर पर मौजूद नहीं था। मुझे पता चला था कि मेरे घर पर मेरे ससुराल वाले आये हुए थे। किसी बात को लेकर पंचायत हुई थी। पंचायत में काफी लोग गांव के इकट्ठा हो गये थे, उसी समय किसी बात को लेकर भीड़ में धक्का मुक्की हो गयी थी, जिसमें भगदड़ मच गयी। मेरे पड़ोसी लाल बहादुर गुप्ता व जवाहिर गुप्ता ने मेरी मां को मारा पीटा नहीं था, न ही गाली गुप्ता व जान

माल की घुड़की धमकी दिया था। दरोगा जी ने पंचायत नामा पर मुझसे हस्ताक्षर कराया था। पंचनामा पत्रावली में संलग्न है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है प्रदर्श क–2 डाला गया। दरोगा जी ने पंचनामा के अलावा और कोई बयान नहीं लिया था।

जिरह द्वारा अभियोजन–घटना के समय मैं दुबई में था। मैं करीब 15–16 दिन बाद दुबई से घर आया था। मेरी मां की मृत्यु मेरे आने के एक हफ्ते बाद हुई थी, मैंने अपनी आंख से मुल्जिमान द्वारा मेरी मां को मारते पीटते, गाली गुप्ता व जान से मारने की घुड़की धमकी देते नहीं देखा था। थाने पर मुकदमा करीब 24–25 दिन बाद लिखाया था। मुकदमा मेरे बड़े भाई अमेरिका गुप्ता ने लिखाया था। थाने पर जो प्रा०पत्र दिया गया उसको गांव के कई लोग बोल–बोल कर मुझसे लिखवाये थे। चूंकि मैं घटना के समय दुबई में था, इस नाते गांव के लोग जो बात कहते गये मैं लिखता गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट और गवाह का लेखक के रूप में अंकित जिसको तस्दीक किया, जिस पर पहले से ही प्रदर्श क–1 अंकित है। गवाह को उसका 161 Crpc का बयान पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि दरोगा जा ने मुझसे केवल पंचनामा दस्तखत कराया। मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मेरी पत्नी नीलम जो मुझसे अब अलग हो चुकी है। उसके द्वारा मेरे व मेरे घरवालों पर एक मुकदमा किया हुआ था, जिसमें सुलह हो गयी है। यह कहना सही है कि इस मुकदमें में भी मुल्जिमान से सुलह कर लिया है। और आपसी सहमति से मैं और मेरी पत्नी अलग–अलग रहते है। यह कहना गलत है कि सारे मुकदमों में सुलह समझौता कर लेने के कारण घटना की सही बात नहीं बता रहा हूँ। और मुल्जिमान के साथ न्यायालय में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

13– आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतः– ''An Accused is Presumed to be innocent and therefore, the burden lies on the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt'' जिसका वर्णन माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत से निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि जैसे कि– Harbhajan Singh V/s State of Punjab, 1965 Hon'ble Supreme Court.

14– भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अनुसार ''जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राश्त्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिये आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

15– पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में **पी०डब्लू०–1 अमेरिका पुत्र इन्द्रासना, पी०डब्लू० 2 माधुरी देवी पत्नी अमेरिका न पी०डब्लू०–3 मुद्रिका गुप्ता पुत्र इन्द्रासनी** को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा रामरेखा की मृत्यु हो चुकी है। प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–1 अमेरिका पुत्र इन्द्रासना उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा है, उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के कथनों को समर्थन किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन के कथनो का समर्थन नहीं किया गया है और अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 2 माधुरी देवी पत्नी अमेरिका द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा मे ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना कारित किया जाना स्पष्ट होता हो एवं पी०डब्लू 3 मुद्रिका गुप्ता पुत्र इन्द्रासनी द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना कारित की गयी है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। अभियोजन द्वारा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और साक्षीगणों के द्वारा उपरोक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित करने से इंकार किया गया है। तथा उनके द्वारा कथन किया गया है कि हम लोगों को चोटे भीड़ में धक्का लग जाने में गिरने से मेरी मां को काफी गम्भीर चोटे आयी थी। तथा उनकी मृत्यु फेफड़े में संक्रमण होने के कारण हुई थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने न तो हम लोगों को मारा पीटा था। न ही गाली गुप्ता दिया था और न ही जान से मारने की घुड़की धमकी दी थी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्षियों ने कोई भी ऐसा कथन नहीं किया है, जिससे अभियुक्तगण को दोषी सिद्ध किया जा सके तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी के अलावा अन्य कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त परीक्षण उपरान्त यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

16– यहां पर विधि व्यवस्था अंतर्गत V. D. Jhingan Vs State of U.P., AIR 1966 SC 1762 का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि–**"It is also the cardinal rule of our criminal jurisprudence that the burden in the web of proof of an offence would always lie upon the prosecution to prove all the facts constituting the ingredients beyond reasonable doubt. If there is any reasonable doubt, the accused to the benefit of the reasonable doubt. A person has, no doubt, a profound right not to be convicted of an offence which is not established by the evidential standard of proof beyond reasonable doubt."**

17– अतः प्रस्तुत विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि यदि अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा संदेह से परे साबित नहीं कर पाता है तो अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिये। प्रस्तुत मामले में भी अभियोजन पक्ष **अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता** के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपना मामला सभी युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता** को अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० के आरोप से दोष मुक्त किये जाने के अधिकारी हैं।

आदेश

तदनुसार अभियुक्तगण **अभियुक्तगण 1– राजकिशोर गुप्ता पुत्र भृगुन गुप्ता, 2– हीरा गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, 3– लाल बहादुर गुप्ता पुत्र हीरा गुप्ता व 4– जवाहिर गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता** को मुकदमा अपराध **संख्या–157/2019,** अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनको दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437 ए. द०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगा एवं अभियुक्तगण इस आशय के 25–25 हजार रुपये के एक–एक जमानती व इसी राशि के व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करेंगा। यह बन्ध पत्र 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

दिनांकः 15.07.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०, कसया,
जिला–कुशीनगर।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 15.07.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०, कसया,
जिला–कुशीनगर।